6.2.1.

सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी

विद्या परिषद् की बैठक

दि-नांक - 28.07.2021
समय मध्याह्न - 12:00 बजे से
स्थान - योग साधना केन्द्र

उपस्थिति

1- प्रो. हरेराम त्रिपाठी, कुलपति- अध्यक्ष

2-	प्रो. महेन्द्र पाण्डेय	3-	डा. विजय कुमार पाण्डेय
4-	प्रो. सुधाकर मिश्र	5-	प्रो. रमेश प्रसाद
6-	प्रो. हीरक कान्ति चक्रवर्ती	7-	प्रो.नीलम गुप्ता, प्रभारी-स.अ.ग.वि.
8-	प्रो. अमित कुमार शुक्ल	9-	प्रो. ब्रजभूषण ओझा
10-	प्रो. राघवेन्द्र जी दूबे	11-	प्रो. शम्भुनाथ शुक्ल
12-	प्रो. हरिप्रसाद अधिकारी	13-	प्रो. शैलेश कुमार मिश्र
14-	प्रो. जितेन्द्र कुमार	15-	प्रो. रामकिशोर त्रिपाठी
16-	प्रो.रामपूजन पाण्डेय	17-	प्रो. प्रेम नारायण सिंह
18-	प्रो. हरिशंकर पाण्डेय	19-	प्रो. विधु द्विवेदी
20-	प्रो. राजनाथ	21-	प्रो. कमलाकान्त त्रिपाठी
22-	प्रो. ललित कुमार चौबे	23-	डा. दिनेश कुमार गर्ग
24-	डा. विद्या कुमारी चन्द्रा	25-	डा. विशाखा शुक्ला
26-	डा. रविशंकर पाण्डेय	27-	डा. विजय कुमार शर्मा
27-	कुलसचिव-सचिव		

मंगलाचरण- प्रो. महेन्द्र पाण्डेय

सर्वप्रथम कुलपति महोदय ने सभी सदस्यों का अभिनन्दन करते हुए विद्यापरिषद् की कार्यवाही प्रारम्भ करने की अनुमति प्रदान की।

कार्यक्रम संख्या-1- विद्या परिषद् की बैठक दिनांक 08.10.2020 एवं 28.02.2021 की कार्यवाही की पुष्टि।

निर्णय- **विचार विमर्श के अनन्तर विद्यापरिषद् ने सर्वसम्मति से विद्यापरिषद् की बैठक दिनांक 08.10.2020 में कार्यक्रम संख्या-3- के अन्तर्गत लिये गये निर्णय को छोड़कर शेष परिषद् की बैठक दिनांक 08.10.2020 एवं 28.02.2021 में लिये गये अन्य निर्णयों की कार्यवाही की सम्पुष्टि की।**

कार्यक्रम संख्या-2- विद्या परिषद् की बैठक दिनांक 08.10.2020 एवं 28.02.2021 में लिये गये निर्णयों के क्रियान्वयन की सूचना।

विद्यापरिषद् के समक्ष परिषद् की बैठक दिनांक 08.10.2020 में कार्यक्रम संख्या-3- माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित याचिका संख्या 11047/2020 प्रबंध समिति स्वामी शिवेन्द्रपुरी संस्कृत महाविद्यालय बनाम स्टेट आफ यू.पी. एवं अन्य 2 में दिनांक 21.09.2020 में पारित निर्णय के क्रियांवयन पर विचार" के क्रम में परिषद् द्वारा की गयी संस्तुति के संदर्भ में गठित समिति की अधोलिखित जाँच आख्या प्रस्तुत की गयी।

Scanned by CamScanner

422.

सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी

[illegible]

निर्णय- विद्या परिषद् ने उपरोक्त जाँच समिति की आख्या पर अपनी स्वीकृति प्रदान की।

तत्पश्चात् परिषद् अन्य क्रियांवयन रिपोर्ट से अवगत होते हुए कृत कार्यवाही पर अपनी स्वीकृति प्रदान की।

Scanned by CamScanner

कार्यक्रम संख्या-3- नई शिक्षा नीति-2020 के आलोक में पाठ्यक्रम संशोधन हेतु विभिन्न संकाय बोर्डों की संस्तुतियों पर विचार।

1- विद्यापरिषद् के समक्ष अधोलिखित विवरण के अनुसार उल्लिखित संकायों/विभागों द्वारा संस्तुत पाठ्यक्रम संशोधन एवं नवीन पाठ्यक्रम का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया-

1- वेदवेदाङ्ग संकाय-

i. वेद विभाग - शास्त्री प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर
ii. व्याकरण विभाग - शास्त्री प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर
iii. धर्मशास्त्र विभाग - शास्त्री प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर
iv. ज्योतिष विभाग - शास्त्री प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर

ज्योतिष विभाग के अंतर्गत नवीन पाठ्यक्रम

क. द्विवर्षीय ज्योतिष डिप्लोमा
ख. त्रैमासिक ज्योतिष कार्यक्रम

2. साहित्य संस्कृति संकाय-

i. साहित्य विभाग - शास्त्री प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर
ii. पुराणेतिहास विभाग - शास्त्री प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर
iii. प्राचीन राजशास्त्र अर्थशास्त्र विभाग - शास्त्री प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर

3- दर्शन संकाय -

i. वेदान्त विभाग - शास्त्री प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर
ii. न्याय वैशेषिक विभाग - शास्त्री प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर
iii. सांख्य योग तन्त्रागम विभाग - शास्त्री प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर

साख्ययोगतन्त्रागम विभाग के अंतर्गत नवीन पाठ्यक्रम

क. स्नातक योग पाठ्यक्रम - शास्त्री (B.A.in Yoga)
ख. स्नातकोत्तर योग पाठ्यक्रम - आचार्य (M.A. in Yoga)
ग. स्नातकोत्तर योग अध्ययन डिप्लोमा (P.G. Diploma in Yoga)
घ. क्रियात्मक योग प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

iv. पूर्वमीमांसा विभाग - शास्त्री प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर
v. तुलनात्मक धर्म दर्शन विभाग - शास्त्री प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर

तुलनात्मक धर्म दर्शन विभाग के अंतर्गत नवीन पाठ्यक्रम
क. नामधारी सिक्ख सम्प्रदाय अध्ययन (एक वर्षीय प्रमाणपत्रीय पाठ्यक्रम)

4. श्रमण विद्या संकाय-

i. बौद्ध दर्शन विभाग - शास्त्री प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर
ii. जैन दर्शन विभाग - शास्त्री प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर
iii. पालि एवं थेरवाद विभाग - शास्त्री प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर
iv. प्राकृत एवं जैनागम विभाग - शास्त्री प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर
v. संस्कृत विद्या विभाग - शास्त्री प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर

संस्कृत विद्या विभाग के अन्तर्गत नवीन पाठ्यक्रम
शास्त्री (B.A.)- संस्कृत (स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम)

Scanned by CamScanner

5- आधुनिक ज्ञान विज्ञान संकाय-

i. आधुनिक भाषा एवं भाषा विज्ञान विभाग
- क. भाषा विज्ञान विषय - शास्त्री प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर
- ख. हिन्दी विषय - शास्त्री प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर
- ग. अंग्रेजी विषय - शास्त्री प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर
- घ. नेपाली विषय - शास्त्री प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर

ii. सामाजिक विज्ञान विभाग -
- क. राजनीति शास्त्र विषय - शास्त्री प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर
- ख. समाजशास्त्र विषय - शास्त्री प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर
- ग. भूगोल विषय - शास्त्री प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर
- घ. अर्थशास्त्र विषय - शास्त्री प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर
- ङ प्राचीन भारतीय इतिहास एवं संस्कृति विषय - शास्त्री प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर

iii. ग्रंथालय विज्ञान विभाग -

नवीन पाठ्यक्रम
- क. ग्रंथालय एवं सूचना विज्ञान आचार्य (M.L.I.Sc.)

iv. विज्ञान विभाग-
- क. विज्ञान विषय - शास्त्री प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर
- ख. गृह विज्ञान विषय - शास्त्री प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर

विज्ञान विभाग के अंतर्गत नवीन पाठ्यक्रम
- क. एम.ए. (गृह विज्ञान)
- ख. संगणक अनुप्रयोग (Computer Application)- शास्त्री प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर

निर्णय- उपरोक्त विभिन्न विभागीय अध्ययन बोर्डों एवं संकाय बोर्डों की संस्तुतियों पर गम्भीरतापूर्वक विचार-विमर्श करने के पश्चात् विद्यापरिषद् ने उपरोक्त पाठ्यक्रम संशोधन तथा नवीन पाठ्यक्रम के संचालन पर अपनी सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की। साथ ही यह भी निर्णय लिया कि समस्त संकायों से प्राप्त पाठ्यक्रम संशोधनों एवं नवीन पाठ्यक्रम को नई शिक्षा नीति के अनुरूप करने के लिए एक बार और समीक्षा की जाये। समीक्षा कर क्रियान्वयन करने हेतु स्वीकृति प्रदान करने के लिए विद्यापरिषद् ने कुलपति महोदय को अधिकृत किया।

2- विद्यापरिषद् के समक्ष आयुर्वेद संकाय बोर्ड द्वारा संस्तुत अनुसंधान नीति (Ayurveda (MD/MS Ayurved)Research Policy-2020-21) का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

निर्णय- विद्यापरिषद् उपर्युक्त प्रस्ताव पर विचार के क्रम में सर्वप्रथम आपत्ति प्रकट की कि प्रस्ताव हिन्दी में प्रस्तुत होना चाहिए। तत्पश्चात् विचार-विमर्श के अनन्तर विद्यापरिषद् ने आयुर्वेद संकाय बोर्ड द्वारा संस्तुत अनुसंधान नीति ((Ayurveda (MD/MS Ayurved)Research Policy-2020-21)) की समीक्षा कर स्वीकृति प्रदान करने के लिए कुलपति महोदय को अधिकृत किया।

Scanned by CamScanner

कार्यक्रम संख्या-4- विश्वविद्यालयों मे व्यक्तिगत (Private) शिक्षार्थी के रूप मे प्रचलित शैक्षिक व्यवस्था को प्रतिबंधित किये जाने के संबंध में श्री राज्यपाल/कुलाधिपति के विशेष कार्याधिकारी के पत्रांक ई.-7471/12-जी.एस./2020(मिस-II), दिनांक 08.12.2020 पर विचार।

विद्यापरिषद् के समक्ष मा. कुलाधिपति के विशेष कार्याधिकारी के पत्र संख्या ई.7471/12-जी.एस./2020 (मिस-II), दिनांक 08.12.2020 एवं उसके साथ संलग्न उ.प्र.राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज के पत्रांक ओ.यू./2920/2020, दिनांक 20.11.2020 प्रस्तुत किया गया।

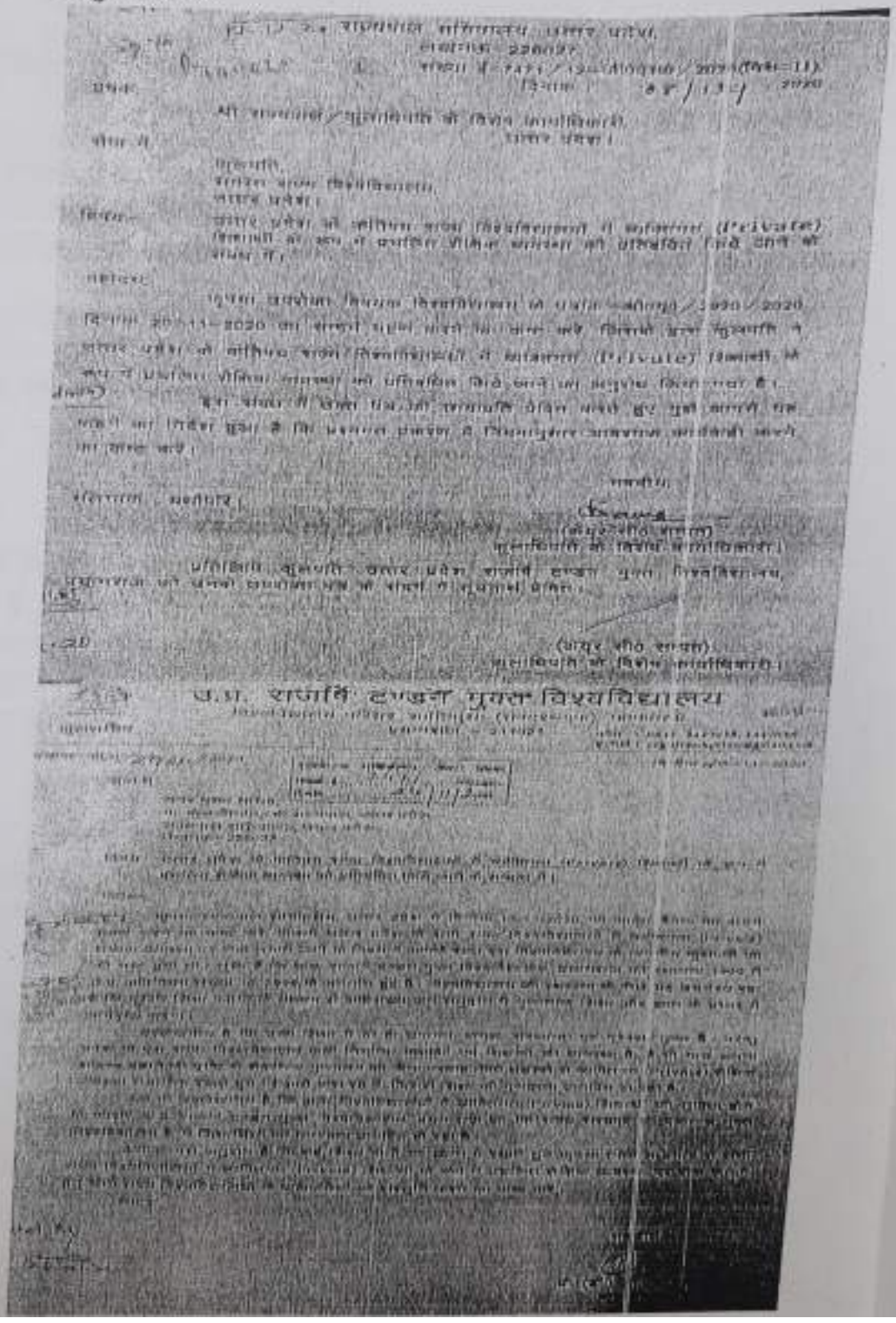

उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय

Scanned by CamScanner

निर्णय- विद्यापरिषद ने उपर्युक्त पत्रों पर गम्भीरतापूर्वक विचार करने के पश्चात् निर्णय लिया कि- यतः सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी प्रदेश का एक मात्र परम्परागत विषयों के अध्ययन-अध्यापन का विश्वविद्यालय है, इस विश्वविद्यालय में शास्त्री एवं आचार्य के रूप में स्नातक एवं स्नातकोत्तर की उपाधि प्रदान की जाती है। जो प्रदेश के किसी अन्य विश्वविद्यालयों में संचालित नही है।

अतः विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों की विशिष्टता को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय से व्यक्तिगत (Private) परीक्षा समाप्त न की जाय।"

कार्यक्रम संख्या-5- विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों में बैचलर आफ वोकेशनल स्टडीज (B.Voc) नवीन पाठ्यक्रम संचालन की स्वीकृति पर विचार।

विश्वविद्यालय को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय के सम्बद्ध महाविद्यालयों द्वारा नेशनल स्किल क्वालीफिकेशन फ्रेम वर्क (NSQF) द्वारा संचालित एवं यू.जी.सी. द्वारा स्वीकृत बैचलर आफ वोकेशनल स्टडीज (B.Voc) पाठ्यक्रम को संचालित करने के लिए सम्बन्धित पाठ्यक्रमों की विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृति की अपेक्षा की गयी है। जिससे सम्बन्धित महाविद्यालय पाठ्यक्रम संचालित कर सकें।

निर्णय- उपरोक्त पर गम्भीरतापूर्वक विचार-विमर्श करने के पश्चात् विद्यापरिषद् ने निर्णय लिया कि-"यतः सम्बन्धित पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय में किसी विभाग द्वारा संचालित नही किया जाता है, अतः सम्बद्ध महाविद्यालयों को भी सम्बन्धित पाठ्यक्रम (B.Voc) संचालित करने की अनुमति न प्रदान की जायें।

*अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषयों पर विचार।

1- प्रवेश समिति की बैठक दिनांक 16.12.2020 की संस्तुति पर विचार

विद्यापरिषद् को अवगत कराया गया कि प्रवेश समिति की बैठक दिनांक 16.12.2020 को सदस्यों के द्वारा विश्वविद्यालय की शास्त्री एवं आचार्य कक्षाओं के प्रवेश अर्हता सम्बन्धित प्रवेश-निदर्शिका भाग-4, खण्ड-3 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार अर्हता परीक्षा के मुख्य विषय संस्कृत में प्राप्तांको की (Ceilling) की बाध्यता को समाप्त करते हुए मात्र मुख्य विषय में उत्तीर्णांक होने पर शास्त्री/आचार्य में यथानिर्दिष्ट विषयों में प्रवेश हेतु अर्हता को मान्य करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रस्ताव पर व्यापक विचार-विमर्श करते हुए वर्तमान समय में वैश्विक विषयगत विस्तार एवं अन्य प्रकार से संस्कृत के व्यापक प्रसार को दृष्टिगत छात्रहित में उक्त प्रस्ताव को मान्य करते हुए अर्हता परीक्षा में मुख्य विषय संस्कृत के प्राप्तांको की सीमा (Ceilling) को समाप्त कर मात्र उत्तीर्णांक होना मान्य किया गया।

निर्णय- विद्यापरिषद् प्रवेश समिति की बैठक में लिए गये उपरोक्त निर्णय पर अपनी स्वीकृति प्रदान की।

2- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम-2016 पर विचार

निर्णय- विद्यापरिषद् विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एम.फिल./पी.एच.डी. उपाधि प्रदान करने हेतु न्यूनतम मानदंड और प्रक्रिया) विनियम-2016 को स्वीकार करते हुए निर्णय लिया कि तदनुसार शोध प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाय।

Scanned by CamScanner

3- उ.प्र.राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 25(2)(xi) एवं परिनियम 5.03 के अंतर्गत विद्यापरिषद् के सदस्य के रूप में सहयोजन पर विचार।

अध्यक्ष की अनुमति से विद्यापरिषद् को अवगत कराया गया कि उ.प्र. राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 25(2)(xi) एवं परिनियम 5.03 के अंतर्गत व्यवस्था है कि "शिक्षा क्षेत्र में प्रतिष्ठित पाँच व्यक्ति, जो धारा 25(2) के खण्ड (xi) के अधीन विद्या परिषद् के सदस्य होंगे, उनका सहयोजन उक्त धारा के खण्ड (i) से (x) में उल्लिखित सदस्यों द्वारा, जिनका अधिवेशन कुलसचिव बुलायेगा, उन व्यक्तियों में से किया जायेगा, जो विश्वविद्यालय, संस्थान, सम्बद्ध महाविद्यालय या छात्रावास के कर्मचारी न हो। के क्रम में सदस्यों का सहयोजन होना है।

निर्णय- विद्यापरिषद् ने उपरोक्त पर गहनातपूर्वक विचार-विमर्श करने के पश्चात् उ.प्र.राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 25(2)(xi) एवं परिनियम 5.03 के अंतर्गत शिक्षा क्षेत्र में प्रतिष्ठित पाँच व्यक्तियों को विद्यापरिषद् में सदस्य के रूप में सहयोजन हेतु कुलपति महोदय को अधिकृत किया।

अंत में माननीय कुलपति सहित समस्त सम्मानित सदस्यों के प्रति का कुलसचिव द्वारा धन्यवाद ज्ञापन बैठक सम्पन्न हुयी।

कुलसचिव
सं.सं.वि.वि.,वाराणसी

Scanned by CamScanner

622.

सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी

पत्रांक - स.स.वि.वि./सा. 643 /2021

दिनांक 12 जुलाई, 2021

कार्यालय-ज्ञाप

उच्च शिक्षा अनुभाग-3 के पत्र संख्या-987/सत्तर-3-2021, लखनऊ, दिनांक 21 जून, 2021 में प्रदत्त निर्देश के क्रम में विश्वविद्यालय परिसर में कार्यरत महिलाओं के यौन उत्पीड़न रोकने हेतु अधोलिखित रूप में, यौन प्रतिषेध कमेटी/ अन्तरिम शिकायत समिति का गठन किया जाता है -

1. प्रो. विधु द्विवेदी - अध्यक्ष
2. डॉ. विजय कुमार पाण्डेय - सदस्य
3. डॉ. दिनेश गर्ग - सदस्य
4. डॉ. (श्रीमती) विद्या कुमारी चन्द्रा - सदस्य
5. डॉ. (श्रीमती) विशाखा शुक्ला - सदस्य
6. डॉ. रेनू गर्ग (इनरव्हील क्लब, एन.जी.ओ. सम्भव) - सदस्य

इस पर कुलपति महोदय की स्वीकृति प्राप्त है।

कुलसचिव
स.स.वि.वि., वाराणसी

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ।
2. सचिव, कुलपति को कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ।
3. समिति के माननीय सदस्यगण।
4. परीक्षा नियंत्रक।
5. समस्त सहायक कुलसचिव।
6. आशुलिपिक, कुलसचिव/वित्त अधिकारी।
7. समस्त अधीक्षक।
8. जनसम्पर्क अधिकारी।
9. समस्त विभागानुभाग।
10. समस्त सूचना पट्ट।
11. सम्बद्ध पत्रावली।

कुलसचिव
स.स.वि.वि., वाराणसी

Scanned by CamScanner

सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी

कार्यालय-ज्ञाप

महिला एवं बाल विकास अनुभाग-3 के पत्र संख्या- 2054/60-3-10-3(42)/97 दिनांक 22 नवम्बर, 2010 में प्रदत्त निर्देशानुसार क्रम में विश्वविद्यालय परिसर में कार्यरत महिलाओं के यौन उत्पीडन रोकने हेतु अधोलिखित रूप में यौन प्रतिबंध कमेटी गठित की जाती है।

1. प्रो. शशिरानी मिश्रा - अध्यक्ष
2. डॉ. विजय कुमार पाण्डेय - सदस्य
3. डॉ. दिनेश गर्ग - सदस्य
4. डॉ. श्रीमती विद्या कुमारी चन्द्रा - सदस्य
5. डॉ. श्रीमती विशाखा शुक्ला - सदस्य
6. डॉ. रेनू गर्ग (इनरव्हील क्लब, एन.जी.ओ. मेम्बर) - सदस्य

इस पर कुलपति महोदय की स्वीकृति प्राप्त है।

कुलसचिव
स.सं.वि.वि., वाराणसी

संख्या : सा. 1025/2017 दिनांक : 17.09.2017
प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल विकास अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. सचिव, कुलपति को कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ।
3. गठित समिति के समस्त सदस्यगण।
4. आशुलिपिक, कुलसचिव/वित्ताधिकारी।
5. समस्त अधीक्षकगण।
6. समस्त विभागानुभाग।
7. जनसम्पर्क अधिकारी।
8. समस्त सूचना पट्ट।
9. सम्बन्धित पत्रावली।

कुलसचिव
स.सं.वि.वि., वाराणसी
16.9.17

Scanned by CamScanner

सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी

कार्यालय ज्ञाप

महिला एवं बाल विकास अनुभाग-3 के पत्र संख्या- 2054/60-3-10-3(42)/97 दिनांक 22 नवम्बर, 2010 में प्रदत्त निर्देशानुपालन क्रम में विश्वविद्यालय परिसर में कार्यरत महिलाओं के यौन उत्पीड़न रोकने हेतु अधोलिखित रूप में यौन प्रतिषेध कमेटी गठित की जाती है।

1. डॉ॰ शशि रानी मिश्रा - अध्यक्ष
2. प्रो॰ व्यास मिश्र - सदस्य
3. प्रो॰ आशुतोष मिश्र - सदस्य
4. डॉ॰ पुष्पा देवी - सदस्य
5. डॉ॰ संगीता चौहान - सदस्य
6. श्रीमती दीप्ति मिश्रा - सदस्य
7. डॉ॰ रितू गर्ग, इनर हील क्लब (एन॰जी॰ओ॰ मेम्बर) - सदस्य
   Mob.No. 9935308884

इस पर कुलपति महोदय की स्वीकृति प्राप्त है।

कुलसचिव
सं॰सं॰वि॰वि॰, वाराणसी

पत्रांक- सं॰1425/2014 दिनांक 22.11.2014

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल विकास अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
02. सचिव कुलपति को कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ।
03. गठित समिति के समस्त सदस्यगण।
04. आशुलिपिक कुलसचिव/वित्तअधिकारी
05. उपकुलसचिव (प्रशासन/परीक्षा/समाज कल्याण)।
06. समस्त अधीक्षकगण।
07. जनसम्पर्क अधिकारी।
08. समस्त विभागानुभाग।
09. समस्त सूचना पट्ट।
10. सम्बन्धित पत्रावली।

22.11.14
कुलसचिव
सं॰सं॰वि॰वि॰, वाराणसी

Scanned by CamScanner

सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी

कार्यालय ज्ञाप

उच्च शिक्षा अनुभाग-01 के पत्र सं0 यू0अ0-99/सत्तर-1-2011 दिनांक 15 जुलाई, 2011 के सातत्य में सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी में कार्यस्थल पर कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न रोकने हेतु अधोलिखित माननीया प्राध्यापिकाओं की ''यौन प्रतिषेध कमेटी'' गठित की जाती है।

1. प्रो0 शारदा चतुर्वेदी - अध्यक्ष
2. डॉ0 विनीता सिंह - संयोजक
3. डॉ0 विधु द्विवेदी - सदस्य
4. डॉ0 विद्या कुमारी चन्द्रा - सदस्य

इस पर आधिकारिक स्वीकृति प्राप्त है।

25/7/11
2/11/11
कुलसचिव
सं.सं.वि.वि., वाराणसी

संख्या- सा0 2598 / 11 दिनांक 11.2011

प्रतिलिपि- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. अनुसचिव एवं जनसूचना अधिकारी उच्च शिक्षा अनुभाग (एक) सचिवालय, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. सचिव, कुलपति को कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ।
3. आशुलिपिक कुलसचिव/वित्ताधिकारी।
4. समिति के माननीय पदाधिकारीगण।
5. उपकुलसचिव (परीक्षा)।
6. अधीक्षक/प्रशासन/परीक्षा/लेखा/समाजकल्याण/सम्बद्धता/छात्रकल्याण।
7. जनसम्पर्क अधिकारी।
8. समस्त विभागानुभाग।
9. सम्बद्ध पत्रावली।

25/7/11
2/11/11
कुलसचिव
सं.सं.वि.वि., वाराणसी

Scanned by CamScanner

अध्याय-२

विश्वविद्यालय के अधिकारी और अन्य कार्यनिर्वाहक

कुलाधिपति

धारा १०(४) तथा ४९ (ग)

२.०१ (१) कुलाधिपति किसी ऐसे विषय पर जो उन्हें धारा ६८ के अधीन निर्दिष्ट किया जाय, विचार करते समय, विश्वविद्यालय अथवा सम्बद्ध पक्षकारों से ऐसे दस्तावेज अथवा सूचना, जिसे वह आवश्यक समझें, माँग सकते हैं, और किसी अन्य मामले में विश्वविद्यालय से कोई दस्तावेज या सूचना माँग सकते है।

(२) जहाँ कुलाधिपति खण्ड (१) के अधीन विश्वविद्यालय से कोई दस्तावेज या सूचना माँगें, वहाँ कुलसचिव का यह सुनिश्चित करना कर्तव्य होगा कि ऐसा दस्तावेज या सूचना तुरन्त उन्हें भेज दी जाय।

(३) यदि कुलाधिपति की राय में, कुलपति जान-बूझकर अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित नहीं करता है या कार्यान्वित करने से इनकार करता है या अपने में निहित शक्तियों का दुरुपयोग करता है और यदि कुलाधिपति को यह प्रतीत हो कि कुलपति का पद पर बना रहना विश्वविद्यालय के लिये अहितकर है, तो कुलाधिपति ऐसी जाँच करने के पश्चात्, जिसे वह उचित समझें, कुलपति को आदेश द्वारा हटा सकते हैं।

(४) कुलाधिपति को खण्ड (३) में निर्दिष्ट किसी जाँच के विचाराधीन रहने के दौरान अथवा उसको अनुध्यात करते हुए, कुलपति को निलम्बित करने की शक्ति होगी।

२.०१ (क) 'कार्य-परिषद् के सदस्य विश्वविद्यालय के अधिकारी होंगे'[१]।

---

१. उत्तर प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या-९२९/१५-१०-८५-१५ (७५)-८३ दिनाङ्क २० मार्च, १९८५ द्वारा बढ़ाया गया तथा २६ दिसम्बर, १९७८ से प्रवृत्त।

Scanned by CamScanner

कुलपति

धारा १३ (६) और ४९ (ग)

२.०२ कुलपति को किसी सम्बद्ध महाविद्यालय से अध्यापन, परीक्षा, अनुसन्धान, वित्त अथवा महाविद्यालय में अनुशासन अथवा अध्यापन की कार्यक्षमता को प्रभावित करने वाले किसी विषय के सम्बन्ध में जिस दस्तावेज या सूचना को वह उचित समझे, उसको माँगने की शक्ति होगी।

वित्त अधिकारी

धारा ९ (ङ)

२.०३ जब वित्त अधिकारी का पद रिक्त हो अथवा जब वित्त अधिकारी अस्वस्थता, अनुपस्थिति या किसी अन्य कारण से अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो, तो उसके पद के कर्तव्यों का पालन कुलपति द्वारा संकायाध्यक्षों में से नाम-निर्दिष्ट किसी एक संकायाध्यक्ष द्वारा किया जायगा और यदि किसी कारण से ऐसा करना साध्य न हो, तो कुलसचिव द्वारा अथवा ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा किया जायगा, जिसे कुलपति नाम-निर्दिष्ट करे।

धारा १५ (७) और ४९ (ग)

२.०४ वित्त अधिकारी—

(क) विश्वविद्यालय की निधियों का सामान्य पर्यवेक्षण करेगा;

(ख) किसी वित्तीय मामले में परामर्श या तो स्वत: या उसका परामर्श अपेक्षित होने पर दे सकता है;

(ग) नकद तथा बैंक बैलेन्स की स्थिति तथा विनिधान की स्थिति पर सतत दृष्टि रखेगा।

(घ) विश्वविद्यालय की आय का संग्रह और संदायों का वितरण करेगा और उसके लेखे रखेगा;

(ङ) यह सुनिश्चित करेगा कि भवन, भूमि, फर्नीचर तथा उपस्कर के रजिस्टर अद्यतन रखे जाते हैं और विश्वविद्यालय में उपस्कर तथा उपयोग में आनेवाली अन्य सामग्रियों के स्टाक की नियमित जाँच की जाती है।

Scanned by CamScanner

(च) किसी भी अप्राधिकृत व्यय तथा अन्य वित्तीय अनियमितताओं की सम्यक् परीक्षा करेगा और सक्षम प्राधिकारी को दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही विषयक सुझाव देगा;

(छ) विश्वविद्यालय के किसी विभाग अथवा इकाई से ऐसी कोई सूचना अथवा विवरणी, जिसे वह अपने कर्तव्यों के पालन के लिये आवश्यक समझे, मँगा सकेगा;

(ज) विश्वविद्यालय के लेखों की निरन्तर आन्तरिक सम्परीक्षा के सञ्चालन का प्रबन्ध करेगा, और उन बिलों की सम्परीक्षा प्रारम्भ मे ही करेगा, जो तत्सम्बन्धी किसी भी स्थायी आदेश द्वारा अपेक्षित हो;

(झ) वित्तीय मामलों के सम्बन्ध में ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करेगा, जो उसे कार्य-परिषद् तथा कुलपति द्वारा सौंपे जायें.

(ञ) अधिनियम और परिनियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, सहायक कुलसचिव (लेखा) के पद से न्यून विश्वविद्यालय के सम्परीक्षा और लेखा अनुभाग के समस्त कर्मचारियों पर परिनियम २.०६ के खण्ड (२) और (३) के अर्थान्तर्गत अनुशासनिक नियन्त्रण रखेगा और उप/सहायक कुलसचिव (लेखा) और लेखा अधिकारी के कार्य का पर्यवेक्षण करेगा।

२.०५ यदि वित्त अधिकारी के कृत्यों का निर्वहन करने के सम्बन्ध में किसी विषय पर कुलपति और वित्त अधिकारी के बीच कोई मतभेद उत्पन्न हो जाय, तो वह प्रश्न राज्य सरकार को निर्दिष्ट किया जायगा, जिसका विनिश्चय अन्तिम होगा और दोनों अधिकारी उससे बाध्य होंगे। धारा १३ (९), १५ (७) तथा ४९ (ग)

कुलसचिव

२.०६ (१) अधिनियम तथा परिनियमावली के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, कुलसचिव का विश्वविद्यालय के निम्नलिखित कर्मचारियों से भिन्न सभी कर्मचारियों पर अनुशासनिक नियन्त्रण होगा, अर्थात्— धारा १३ (९), १६ (४), २१ (i), (vii), २१ (८) और ४९ (ग) तथा (ङ)

(क) विश्वविद्यालय के अधिकारीगण;

Scanned by CamScanner

(ख) उप-कुलसचिव और सहायक कुलसचिव,

(ग) विश्वविद्यालय के अध्यापकगण, चाहे वह अध्यापक के रूप में कार्य कर रहे हों या पारिश्रमिक वाले किसी पद पर हों या किसी अन्य हैसियत से, यथा परीक्षक या अन्तर्रीक्षक के रूप में कार्य कर रहे हों।

(घ) पुस्तकाध्यक्ष।

(ङ) विश्वविद्यालय के लेखा और सम्परीक्षा अनुभाग के कर्मचारी।

(२) खण्ड (१) के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही करने की शक्ति के अन्तर्गत उक्त खण्ड में निर्दिष्ट किसी कर्मचारी को पदच्युत करने, हटाने, पंक्तिच्युत करने, प्रतिवर्तित करने, उसकी सेवा समाप्त करने अथवा उसे अनिवार्य रूप से सेवा-निवृत्त करने का आदेश देने की शक्ति होगी, और ऐसे कर्मचारी की जाँच होने तक की अवधि में या जाँच करने के विचार से निलम्बित करने की भी शक्ति होगी।

(३) खण्ड (२) के अधीन कोई आदेश तब तक नहीं दिया जायगा, जब तक ऐसी जाँच न कर ली जाय, जिसमें उसे अपने विरुद्ध दोषारोपों से अवगत करा दिया गया हो, और उन दोषारोपों के सम्बन्ध में सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दे दिया गया हो;

परन्तु जहाँ ऐसी जाँच के पश्चात् उस पर कोई शास्ति आरोपित करने की प्रस्थापना हो, वहाँ ऐसी जाँच के दौरान दिये गये साक्ष्य के आधार पर ऐसी शास्ति आरोपित की जा सकती है और ऐसे व्यक्ति को प्रस्तावित शास्ति के विरुद्ध अभिवेदन करने का अवसर देना आवश्यक नहीं होगा।

परन्तु यह भी कि यह खण्ड निम्नलिखित मामलों में नहीं लागू होगा, यद्यपि आदेश का आधार कोई आरोप हो (जिसमें दुराचरण या अक्षमता का आरोप भी सम्मिलित है), यदि ऐसे आदेश में प्रत्यक्षतः यह प्रकट न होता हो कि वह ऐसे आधार पर पारित किया गया था :—

(क) किसी स्थानापन्न प्रोन्नत व्यक्ति को उसको मूल पंक्ति में प्रतिवर्तित करने का आदेश।

Scanned by CamScanner

(ख) किसी अस्थायी कर्मचारी की सेवा को समाप्त करने का आदेश।

(ग) किसी कर्मचारी को, पचास वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात् अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त करने का आदेश।

(घ) निलम्बन का आदेश।

२.०७ परिनियम २.०६ में निर्दिष्ट किसी आदेश से व्यथित विश्वविद्यालय का कोई कर्मचारी, उस पर ऐसे आदेश के तामील किये जाने के दिनाङ्क से पन्द्रह दिन के भीतर, परिनियम ८.०१ के अधीन गठित अनुशासनिक समिति को (कुलसचिव के माध्यम से) अपील कर सकता है। ऐसी अपील पर समिति का विनिश्चय अन्तिम होगा। धारा २१ तथा ४९

२.०८ अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, कुलसचिव का निम्नलिखित कर्तव्य होगा :— धारा १६

(क) विश्वविद्यालय की समस्त सम्पत्ति का अभिरक्षक होना, जब तक कि कार्य-परिषद् द्वारा अन्यथा व्यवस्था न की गई हो;

(ख) धारा १६ (४) मे निर्दिष्ट विभिन्न प्राधिकारियों के अधिवेशनों को सम्बन्धित सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से बुलाने के लिये समस्त सूचनाएँ जारी करना और ऐसे समस्त अधिवेशनों का कार्यवृत्त रखना;

(ग) सभा, कार्य-परिषद् तथा विद्या-परिषद् के अधिकृत पत्र-व्यवहार का सञ्चालन करना;

(घ) ऐसी समस्त शक्तियों का प्रयोग करना, जो कुलाधिपति, कुलपति अथवा विश्वविद्यालय के विभिन्न प्राधिकारियों अथवा निकायों के, जिनका कार्य वह सचिव के रूप में करता हो, आदेशों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक या समीचीन हो;

(ङ) विश्वविद्यालय के द्वारा या विरुद्ध वादों या कार्यवाहियों में विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करना, मुख्तारनामे पर हस्ताक्षर करना, अभिवचनों का सत्यापन करना।

Scanned by CamScanner

अनुसन्धान संस्थान का निदेशक

धारा ४९ (ग)

२.०९ अनुसन्धान संस्थान का निदेशक पूर्णकालिक वेतनभोगी अधिकारी होगा, जो कार्य-परिषद् द्वारा चयन समिति की सिफारिश पर, जिसमें निम्नलिखित होंगे, नियुक्त किया जायगा :—

(क) कुलपति, जो अध्यक्ष होगा;

(ख) कुलपति द्वारा नाम-निर्दिष्ट दो ऐसे व्यक्ति जो संस्कृत या पालि या प्राकृत के लब्धप्रतिष्ठ विद्वान् हों और जिन्हें अनुसन्धान कार्य का अनुभव हो।

धारा ४९ (ग)

२.१० (१) निदेशक, विश्वविद्यालय के समस्त अनुसन्धान प्रकाशनों का, जिसमें विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में संस्कृत की पाण्डुलिपियों का सूची-पत्र भी सम्मिलित है, पर्यवेक्षण करेगा।

(२) यह कार्य-परिषद् द्वारा गठित सम्पादकीय बोर्ड के मार्ग-निर्देशन में विश्वविद्यालय की अनुसन्धान-पत्रिका का सम्पादन करेगा।

(३) यह विश्वविद्यालय के समस्त अनुसन्धान कार्य-कलापों (अनुसन्धान उपाधियों के लिये व्यक्तियों द्वारा किये गये अनुसन्धान से सम्बन्धित कार्य-कलाप को छोड़कर) के सम्बन्ध में कुलपति और विद्या-परिषद् को त्रैमासिक रिपोर्ट देगा।

संकायों के संकायाध्यक्ष

धारा २७ (४) और ४९ (ख)

२.११ यदि किसी संकाय के संकायाध्यक्ष के पद में कोई आकस्मिक रिक्ति हो, तो ज्येष्ठतम आचार्य और जहाँ उस संकाय में कोई आचार्य उपलब्ध न हो, वहाँ संकाय का ज्येष्ठतम अध्यापक संकायाध्यक्ष के कर्तव्यों का पालन करेगा।

धारा ४९ (ग)

२.१२ कोई व्यक्ति उस पद पर न रह जाने पर, जिसके आधार पर संकायाध्यक्ष का पद धारण कर पाया, संकायाध्यक्ष नहीं बना रहेगा।

धारा १८ तथा ४९ (ग)

२.१३ संकायाध्यक्ष के निम्नलिखित कर्तव्य तथा शक्तियां होंगी :—

Scanned by CamScanner

(i) वह संकाय-बोर्ड के समस्त अधिवेशनों का सभापतित्व करेगा और यह देखेगा कि बोर्ड के विभिन्न विनिश्चय कार्यान्वित किये जाते हैं;

(ii) वह संकाय की वित्तीय तथा अन्य आवश्यकताओं को कुलपति की जानकारी में लाने के लिए उत्तरदायी होगा;

(iii) वह संकाय में समाविष्ट विभागों के पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं तथा अन्य परिसम्पत्तियों की उचित अभिरक्षा तथा अनुरक्षण के लिए आवश्यक उपाय करेगा;

(iv) उसे अपने संकाय से सम्बन्धित अध्ययन बोर्डों के किसी अधिवेशन में उपस्थित होने तथा बोलने का अधिकार होगा, किन्तु जब तक वह उसका सदस्य न हो, उसे उसमें मतदान करने का अधिकार न होगा।

छात्र-कल्याण के संकायाध्यक्ष

२.१४ छात्र-कल्याण संकायाध्यक्ष की नियुक्ति विश्वविद्यालय के उन अध्यापकों में से, जिन्हें कम से कम दस वर्ष का अध्यापन-कार्य का अनुभव हो और जो उपाचार्य से निम्न पंक्ति के न हों, कार्य-परिषद् द्वारा 'कुलपति की सिफारिश पर की जायेगी'[१]। धारा १८, २१ (१) (xvii) और ४९ (ग)

२.१५ छात्र-कल्याण के संकायाध्यक्ष के रूप में नियुक्त अध्यापक, अध्यापक के रूप में अपने कर्तव्यों के अतिरिक्त संकायाध्यक्ष के कर्तव्यों का भी पालन करेगा। धारा ११ तथा ४९

२.१६ छात्र-कल्याण के संकायाध्यक्ष की पदावधि तीन वर्ष के लिए होगी, जब तक कि कार्य-परिषद् द्वारा पहले ही समाप्त न कर दी जाय। धारा ४९

२.१७ कार्य-परिषद् छात्र-कल्याण के संकायाध्यक्ष की सहायता के लिए एक या उससे अधिक छात्र-कल्याण के सहायक संकायाध्यक्ष नियुक्त कर सकेगी। ऐसे सहायक संकायाध्यक्ष अपने कर्तव्यों का निर्वहन अध्यापक के रूप में अपने कर्तव्यों के साथ-साथ करेंगे। धारा १८ तथा ४९ (ग)

---

१ अधिसूचना संख्या-३४५४/१५-१०-८८ (६)/८७ दिनाङ्क १८ जून, १९८८ द्वारा प्रतिस्थापित संशोधन के पूर्व रूप 'एक समिति की सिफारिश पर की जायगी, जिसमें कुलपति और दो ज्येष्ठतम संकायाध्यक्ष होंगे'।

Scanned by CamScanner

धारा १८, ४९ (ग) और (घ)

२.१८ (१) छात्र-कल्याण के संकायाध्यक्ष तथा छात्र-कल्याण सहायक संकायाध्यक्षो का यह कर्तव्य होगा कि वे छात्रों को ऐसे मामलों में, जिनमें सहायता तथा मार्ग-दर्शन अपेक्षित है, सामान्यत: सहायता प्रदान करें, तथा विशेषतया, छात्रों तथा भावी छात्रों को—

(i) विश्वविद्यालय तथा उसके पाठ्यक्रमो में प्रवेश लेने;

(ii) उपयुक्त पाठ्यक्रम तथा अभिरुचि का चुनाव करने;

(iii) निवास स्थान ढूँढने;

(iv) भोजन व्यवस्था करने;

(v) चिकित्सकीय सलाह तथा सहायता प्राप्त करने;

(vi) छात्रवृत्तियाँ, वृत्तिका, अंशकालिक नियोजन तथा अन्य आर्थिक सहायता प्राप्त करने;

(vii) अवकाश के दिनों तथा शैक्षिक अध्ययन यात्राओं के लिये यात्रा-सुविधायें प्राप्त करने;

(viii) विदेश में अग्रतर अध्ययन की सुविधायें प्राप्त करने, और

(ix) विश्वविद्यालय की परम्परायें अक्षुण्ण रहें, इस उद्देश्य से उन्हें विद्या-अध्ययन करने मे उचित रूप से संचालित होने, मे सहायता करना और सलाह देना।

(२) छात्र-कल्याण का संकायाध्यक्ष किसी छात्र के संरक्षक से किसी मामले के सम्बन्ध में, जिससे उसकी सहायता अपेक्षित हो, आवश्यकतानुसार सम्पर्क कर सकता है।

धारा ४९ (ग)

२.१९ छात्र-कल्याण का संकायाध्यक्ष शारीरिक शिक्षा के अधीक्षक अथवा सहायक अधीक्षक, यदि कोई हो, तथा विश्वविद्यालय चिकित्साधिकारी पर सामान्य नियन्त्रण रखेगा। वह ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा, जो कार्य-परिषद् या कुलपति द्वारा उसे सौंपे जाँय।

धारा १३ (९)

२.२० कुलपति किसी छात्र के विरुद्ध अनुशासनिक आधार पर कोई कार्यवाही करने के पूर्व छात्र-कल्याण के संकायाध्यक्ष से परामर्श कर सकते है।

Scanned by CamScanner

२.२१ छात्र-कल्याण के संकायाध्यक्ष को विश्वविद्यालय की निधियों से ऐसा मानदेय दिया जा सकता है, जैसा कुलपति, राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से निश्चित करे। धारा ४९ (घ)

विभागाध्यक्ष

२.२२ विश्वविद्यालय में अध्यापन के प्रत्येक विभाग का ज्येष्ठतम अध्यापक उस विभाग का प्रधान होगा। धारा ४९

पुस्तकाध्यक्ष

२.२३ (१) विश्वविद्यालय, राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से, एक पूर्णकालिक पुस्तकाध्यक्ष नियुक्त कर सकता है। पुस्तकाध्यक्ष चयन समिति की, जिसमे निम्नलिखित होंगे, सिफारिश पर कार्य-परिषद् द्वारा नियुक्त किया जायगा, अर्थात्— धारा ४९ (ग)

(क) कुलपति,

(ख) पुस्तकालय विज्ञान के दो विशेषज्ञ, जो कुलाधिपति द्वारा नाम-निर्दिष्ट किये जायेंगे।

(२) जब तक खण्ड (१) के अधीन नियुक्त पुस्तकाध्यक्ष अपने पद का कार्य-भार न सम्भाले, तब तक कार्य-परिषद् ऐसी अवधि के लिये, जिसे वह उचित समझे, विश्वविद्यालय के आचार्यों में से किसी को अवैतनिक पुस्तकाध्यक्ष नियुक्त कर सकती है।

*२.२४ विश्वविद्यालय के पुस्तकाध्यक्ष, उप-पुस्तकाध्यक्ष तथा सहायक पुस्तकाध्यक्ष की अर्हतायें— धारा ४९ (ग)

२.२४ (क) पुस्तकाध्यक्ष

उत्तम शैक्षिक अभिलेख के साथ पुस्तकालय विज्ञान/सूचना विज्ञान/डाकूमेण्टेशन पाठ्यक्रम में स्नातक स्तर पर न्यूनतम ५५ प्रतिशत प्राप्ताङ्क अथवा समतुल्य परीक्षा में सात सूत्रीय माप में बी-ग्रेड।

---

*२.२४ शासनादेश संख्या-९१/सत्तर-१-२००३-१५(१४)/९२, टी.सी., दिनाङ्क ६ जनवरी, २००३ द्वारा प्रतिस्थापित तथा प्रवृत्त।
संशोधन से पूर्व रूप 'पुस्तकाध्यक्ष की अर्हतायें ऐसी होंगी, जैसी अध्यादेशों में व्यवस्थाएँ की जाँय'।

Scanned by CamScanner

विश्वविद्यालय पुस्तकालय में उप-पुस्तकालयाध्यक्ष पद पर न्यूनतम १३ वर्ष के कार्य का अनुभव अथवा महाविद्यालय मे पुस्तकालयाध्यक्ष पद पर न्यूनतम १८ वर्ष के कार्य का अनुभव।

पुस्तकालयीय सेवा मे अभिनवीकरण तथा प्रकाशित रचना को संगठित करने का प्रमाण।

वांछित अर्हता—पुस्तकालय विज्ञान/सूचना विज्ञान/डाकूमेण्टेशन/संग्रहालय तथा हस्तलेखों के रख-रखाव मे एम.फिल. अथवा पी-एच.डी. उपाधि।

२.२४ (ख) उपपुस्तकाध्यक्ष

(अ) उत्तम शैक्षिक अभिलेख के साथ पुस्तकालय विज्ञान/सूचना विज्ञान/डाकूमेण्टरी में स्नातक स्तर पर न्यूनतम ५५ प्रतिशत अङ्क अथवा समतुल्य उपाधि मे यू.जी.सी. के साथ सात सूत्रीय वर्ग माप में बी-ग्रेड।

(ब) सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष (विश्वविद्यालय) पुस्तकालयाध्यक्ष (महाविद्यालय) के पद पर ५ वर्ष के कार्य का अनुभव।

(स) पुस्तकालय सेवा में अभिनवीकरण का प्रमाण, प्रकाशित रचनाओं और व्यावसायिक प्रतिबद्धता, पुस्तकालय के कम्प्यूटरीकरण का प्रमाण।

वांछित—पुस्तकालय विज्ञान/सूचना विज्ञान/डाकूमेण्टेशन/संग्रहालय तथा हस्तलेखों के रख-रखाव, पुस्तकालय के कम्प्यूटरीकरण में एम.फिल. अथवा पी-एच.डी. की उपाधि।

नोट—उप-पुस्तकालयाध्यक्ष (विश्वविद्यालय) के पदो के लिए उत्तम शैक्षिक अभिलेख वही होगा, जो कि प्रवक्ता पद हेतु निर्धारित है।

२.२४ (ग) सहायक पुस्तकाध्यक्ष

अनिवार्य उत्तम शैक्षिक अभिलेख के साथ पुस्तकालय विज्ञान/सूचना विज्ञान/डाकूमेण्टेशन अथवा समतुल्य व्यावसायिक उपाधि में न्यूनतम ५५ प्रतिशत प्राप्ताङ्क अथवा यू.जी.सी. के सात

Scanned by CamScanner

सूत्रीय माप में बी-ग्रेड अथवा पुस्तकालय के कम्प्यूटराइजेशन का ज्ञान।

सुसंगत पुस्तकालय विज्ञान/सूचना विज्ञान/डाकुमेण्टेशन में राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण।

नोट—उपर्युक्त सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष (विश्वविद्यालयों एवं पुस्तकालयाध्यक्ष महाविद्यालय) के पदों के लिए उत्तम शैक्षिक अभिलेख वही होगा, जो प्रवक्ता पद हेतु निर्धारित है।

स्पष्टीकरण—वर्तमान मे जो अभ्यर्थी पूर्व में यूनिवर्सिटी सिस्टम में प्राचार्य, उपाचार्य, पुस्तकालयाध्यक्ष तथा उप-पुस्तकालयाध्यक्ष के पदों पर नियमित रूप में चयनित एवं कार्यरत हैं, के लिए सीधी भर्ती के प्राचार्य, उपाचार्य तथा पुस्तकालयाध्यक्ष विश्वविद्यालय पदों के लिए स्नातकोत्तर स्तर पर ५५ प्रतिशत की अनिवार्यता पर बल न दिया जाय'।

२.२५ पुस्तकाध्यक्ष की परिलब्धियाँ ऐसी होंगी जैसी राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित की जाँय। धारा ४९ (ग)

२.२६ विश्वविद्यालय के पुस्तकालय का अनुरक्षण तथा उसकी सेवा को ऐसी रीति से, जो अध्यापन-कार्य तथा अनुसन्धान-कार्य के हित में सर्वाधिक सहायक हो, संगठित करना पुस्तकाध्यक्ष का कर्तव्य होगा। धारा ४९ (ग)

२.२७ पुस्तकाध्यक्ष कुलपति के अनुशासनिक नियन्त्रण में रहेगा। धारा ४९ (ग)

परन्तु उसे अनुशासनिक कार्यवाहियों में अपने विरुद्ध कुलपति द्वारा दिये गये किसी आदेश के विरुद्ध कार्य-परिषद् को अपील करने का अधिकार होगा।

प्राक्टर

२.२८ प्राक्टर विश्वविद्यालय के अध्यापकों में से, कुलपति की सिफारिश पर, कार्य-परिषद् द्वारा नियुक्त किया जायगा। प्राक्टर कुलपति को विश्वविद्यालय के छात्रों के सम्बन्ध में अनुशासनिक धारा १८ तथा ४९ (ग)

** शासनादेश संख्या-५७८/सत्तर-१-२००३-१५(१४)/९२, टी.सी. दिनाङ्क २४ फरवरी, २००३ से प्रवृत्त।

Scanned by CamScanner

प्राधिकार का प्रयोग करने में सहायता देगा, और अनुशासन के सम्बन्ध में ऐसी शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन भी करेगा, जो उसे कुलपति द्वारा इस निमित्त सौंपे जाँय।

धारा ४९ (ग) २.२९ प्राक्टर की सहायता के लिए सहायक प्राक्टर होंगे, जिनकी संख्या कार्य-परिषद् द्वारा समय-समय पर निश्चित की जायगी।

धारा ४९ (ग) २.३० कुलपति प्राक्टर के परामर्श से सहायक प्राक्टर नियुक्त करेंगे।

धारा ४९ (ग) २.३१ प्राक्टर तथा सहायक प्राक्टर एक वर्ष के लिये पद धारण करेंगे और पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होंगे :—

परन्तु जब तक कि उसका उत्तराधिकारी नियुक्त न हो जाय, प्रत्येक प्राक्टर अथवा सहायक प्राक्टर पद पर बना रहेगा;

परन्तु यह और कि कार्य-परिषद् कुलपति की सिफारिश पर प्राक्टर को उक्त अवधि की समाप्ति के पूर्व हटा सकती है;

परन्तु यह भी कि कुलपति किसी सहायक प्राक्टर को उक्त अवधि की समाप्ति से पूर्व हटा सकते हैं।

धारा ४९ (ग) तथा ४९ (ङ) २.३२ प्राक्टर तथा सहायक प्राक्टरों को विश्वविद्यालय की निधियों से ऐसा मानदेय दिया जा सकता है, जैसा कुलपति राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से निश्चित करें।

Scanned by CamScanner

अध्याय-३

कार्य-परिषद्

३.०१ संकायों के संकायाध्यक्ष, जो धारा २० (१) (ग) के अधीन कार्य-परिषद् के सदस्य होंगे, उसी क्रम में चुने जायेंगे, जिस क्रम में विभिन्न संकायों के नाम परिनियम ७.०१ में प्रमाणित है। धारा २० (१) (ग)

३.०२ विश्वविद्यालय के एक आचार्य, एक उपाचार्य और एक प्राध्यापक का, जो धारा २० (१) (घ) के अधीन कार्य-परिषद् के सदस्य होंगे, चयन उनके अपने-अपने संवर्ग में, ज्येष्ठता क्रम में, चक्रानुक्रम से किया जायगा। धारा २० (१) (घ)

३.०३ सम्बद्ध महाविद्यालयों के (आयुर्वेदिक महाविद्यालय से भिन्न) एक प्राचार्य और एक अध्यापक का, जो धारा २० (१) (घ) के अधीन कार्य-परिषद् के सदस्य होंगे, चयन, यथास्थिति, ऐसे प्राचार्य या ऐसे अध्यापक के रूप में ज्येष्ठता क्रम में चक्रानुक्रम से किया जायगा। धारा २० (१) (घ)

३.०४ धारा २० (१) के खण्ड (च) के अधीन चुने गये व्यक्ति बाद में विश्वविद्यालय, संस्थान, सम्बद्ध महाविद्यालय या विश्वविद्यालय के छात्रावास का छात्र होने या उसकी सेवा स्वीकार कर लेने पर कार्य-परिषद् के सदस्य नहीं रह जायेंगे। धारा २० (१) (च)

३.०५ कोई व्यक्ति एक से अधिक हैसियत से कार्य-परिषद् का न तो सदस्य होगा और न सदस्य बना रहेगा, और जब कभी कोई व्यक्ति एक से अधिक हैसियत से कार्य-परिषद् का सदस्य हो जाय, तो वह उसके दो सप्ताह के भीतर यह चुन लेगा कि वह किस हैसियत से कार्य-परिषद् का सदस्य रहना चाहता है और दूसरा स्थान रिक्त कर देगा। यदि वह इस प्रकार चुनाव न करे, तो यह समझा जायेगा कि उसने उस स्थान को, जिस पर समय की दृष्टि से वह पहले से आसीन था, उपर्युक्त दो सप्ताह की अवधि की समाप्ति के दिनाङ्क से रिक्त कर दिया है। धारा ४१ (क) तथा (ख)

Scanned by CamScanner

धारा २१ (८) ३.०६ कार्य-परिषद् अपनी कुल सदस्यता के बहुमत द्वारा पारित संकल्प द्वारा विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी को अपनी ऐसी शक्तियाँ, जिन्हें वह ठीक समझे, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुये, जिन्हें संकल्प में निर्दिष्ट किया जाय, प्रत्यायोजित कर सकती है।

धारा २० तथा ४९ (ङ) ३.०७ कार्य-परिषद् के अधिवेशन कुलपति के निर्देश से बुलाये जायेंगे।

धारा २० तथा ४९ (ङ) ३.०८ कार्य-परिषद् ऐसे किसी प्रस्ताव पर, जिसमें वित्तीय प्राविधान अन्तर्ग्रस्त हों, विचार करने के पूर्व वित्त अधिकारी की राय प्राप्त करेगी।

Scanned by CamScanner

अध्याय-४

सभा

अध्यापकों आदि का प्रतिनिधित्व

४.०१ (१) ऐसे पन्द्रह अध्यापकों का, जो धारा २२ (१) के खण्ड (ix) के अधीन सभा के सदस्य होंगे, चयन निम्नलिखित रीति से किया जायगा :— धारा २२ (१) (ix)

(क) विश्वविद्यालय के दो आचार्य;

(ख) विश्वविद्यालय के तीन उपाचार्य;

(ग) विश्वविद्यालय के तीन प्राध्यापक;

(घ) छात्र-कल्याण के संकायाध्यक्ष;

(ङ) सम्बद्ध स्नातकोत्तर महाविद्यालयों के दो प्राचार्य तथा एक अध्यापक;

(च) सम्बद्ध उपाधि महाविद्यालयों के दो प्राचार्य तथा एक अध्यापक।

(२) उपर्युक्त आचार्यों, उपाचार्यों, प्राध्यापकों, प्राचार्यों तथा अन्य अध्यापकों का चयन, यथास्थिति, आचार्य, उपाचार्य, प्राध्यापक, प्राचार्य अथवा, अन्य अध्यापक के रूप में उनके ज्येष्ठता-क्रम में किया जायगा।

स्नातकों का रजिष्ट्रीकरण तथा सभा में उनका प्रतिनिधित्व

४.०२ कुलसचिव अपने कार्यालय मे रजिष्ट्रीकृत स्नातकों का एक रजिष्टर रखेगा, जिसे आगे इस अध्याय में रजिष्टर कहा गया है। धारा १६ (४) तथा ४९ (ख)

४.०३ रजिष्टर में निम्नलिखित विवरण होंगे— धारा ४९ (ख)

(क) रजिष्ट्रीकृत स्नातकों का नाम तथा पता।

Scanned by CamScanner

(ख) उनके स्नातक होने का वर्ष।

(ग) विश्वविद्यालय या महाविद्यालय का नाम जहाँ से वे स्नातक हुए।

(घ) रजिष्टर में स्नातक का नाम दर्ज किये जाने का दिनाङ्क।

(ङ) ऐसे अन्य ब्यौरे, जिनके बारे में कार्य-परिषद् समय-समय पर निदेश दे।

टिप्पणी—ऐसे रजिष्ट्रीकृत स्नातकों के नाम काट दिये जायेंगे, जिनकी मृत्यु हो गई हो।

धारा ४९ (थ) ४.०४ विश्वविद्यालय का प्रत्येक स्नातक कार्य-परिषद् द्वारा अनुमोदित प्रपत्र में आवेदन-पत्र देने पर और इक्यावन रूपये की फीस देने पर रजिष्टर में अपना नाम उस दीक्षान्त समारोह के दिनाङ्क से दर्ज कराने का हकदार होगा, जिसमें वह उपाधि प्रदान की गई थी या उसके उपस्थित रहने पर प्रदान की गई होती, जिसके आधार पर उसका नाम दर्ज करना है। आवेदन-पत्र स्नातक द्वारा स्वयं दिया जायगा और उसे या तो स्वयं कुलसचिव को दिया जा सकता है या रजिष्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजा जा सकता है। यदि दो या उससे अधिक आवेदन-पत्र एक ही आवरण में प्राप्त हों, तो उन्हें अस्वीकार कर दिया जायगा।

धारा ४९ (थ) ४.०५ आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर कुलसचिव, यदि यह ज्ञात हो कि स्नातक सम्यक् रूप से अर्ह है और विहित फीस दे दी गयी है, आवेदक का नाम रजिष्टर में दर्ज करेगा।

धारा ४९ (थ) ४.०६ कोई रजिष्ट्रीकृत स्नातक, जिसका नाम निर्वाचन की अधिसूचना के दिनाङ्क के पूर्ववर्ती ३० जून को एक वर्ष या उससे अधिक अवधि से रजिष्टर में लिखा हो, रजिष्ट्रीकृत स्नातकों के प्रतिनिधियो के निर्वाचन में मत (वोट) देने का हकदार होगा।

धारा २२ (१) (xi) तथा ४९ (थ) ४.०७ कोई रजिष्ट्रीकृत स्नातक धारा २२ (१) के खण्ड (xi) के अधीन निर्वाचन में खड़े होने के लिये पात्र होगा, यदि उसका नाम निर्वाचन के दिनाङ्क के पूर्ववर्ती ३० जून को कम से कम तीन वर्ष तक रजिष्टर में दर्ज रहा हो।

Scanned by CamScanner

४.०८ धारा २२ (१) के खण्ड (xi) के अधीन निर्वाचित रजिष्ट्रीकृत स्नातकों का प्रतिनिधि विश्वविद्यालय या किसी सम्बद्ध महाविद्यालय, छात्रावास की सेवा में प्रवेश करने पर अथवा सम्बद्ध महाविद्यालय, अथवा छात्रावास के प्रबन्धतन्त्र से सम्बद्ध हो जाने पर अथवा छात्र हो जाने पर सदस्य नहीं रह जायगा, और इस प्रकार रिक्त हुए स्थान को ऐसे उपलब्ध व्यक्ति द्वारा, जिसे पिछले निर्वाचन के समय ठीक बाद में पड़ने वाले अधिकतम मत प्राप्त हुए हों, शेष कार्यकाल के लिए भरा जायगा। धारा २२ (१) (xi) तथा ४९ (ख)

४.०९ कोई रजिष्ट्रीकृत स्नातक, जो पहिले से ही किसी अन्य हैसियत से सभा का सदस्य हो, रजिष्ट्रीकृत स्नातकों के प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचन में खड़ा हो सकता है, और इस प्रकार उसके निर्वाचित हो जाने पर परिनियम ३.०५ के उपबन्ध, आवश्यक परिवर्तनों सहित, लागू होंगे। धारा २२ (१) (xi) (xii)

४.१० इस अध्याय के अधीन रजिष्ट्रीकृत स्नातकों का निर्वाचन परिशिष्ट 'क' में निर्धारित आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जायगा। धारा २२ (१) (xi)

४.११ सभा के सदस्यों का कार्यकाल सभा के प्रथम अधिवेशन के दिनाङ्क से प्रारम्भ होगा। धारा २२ (२) तथा ४९ (ख)

Scanned by CamScanner

अध्याय-५

विद्या-परिषद्

धारा २५ (२) (vii) २५ (३) तथा ४९ (ख)

५.०१ विश्वविद्यालय के सम्बद्ध महाविद्यालयों से जो तीन प्राचार्य धारा २५ (२) के खण्ड (vii) के अधीन विद्या-परिषद् के सदस्य होंगे, उनका चयन ऐसे महाविद्यालयों के प्राचार्य के रूप में उनके ज्येष्ठता-क्रम में किया जायगा।

धारा २५ (२) (viii) तथा ४९ (ख)

५.०२ ऐसे पन्द्रह अध्यापकों का, जो धारा २५ (२) के खण्ड (viii) के अधीन विद्या-परिषद् के सदस्य होंगे, चयन निम्नलिखित रीति से किया जायगा :—

(क) ज्येष्ठता-क्रम में चक्रानुक्रम से विश्वविद्यालय के चार उपाचार्य।

(ख) ज्येष्ठता-क्रम में चक्रानुक्रम से विश्वविद्यालय के चार प्राध्यापक।

(ग) ज्येष्ठता-क्रम में चक्रानुक्रम से सम्बद्ध स्नातकोत्तर महाविद्यालयों के चार अध्यापक (जो प्राचार्य न हों)।

(घ) ज्येष्ठता-क्रम में चक्रानुक्रम से सम्बद्ध उपाधि महाविद्यालयों के तीन अध्यापक (जो प्राचार्य न हों)।

टिप्पणी—(१) एक सम्बद्ध महाविद्यालय के दो से अधिक अध्यापक इस परिनियम के अधीन सदस्य नहीं होंगे।

टिप्पणी—(२) यदि एक महाविद्यालय के दो से अधिक अध्यापक इस परिनियम के अधीन विद्या-परिषद् के सदस्य होने के हकदार हों, तो दो ज्येष्ठतम अध्यापक विद्या-परिषद् के सदस्य होंगे। ऐसे अध्यापक, जो इस प्रकार रह जायेंगे, उनकी बारी चक्रानुक्रम से अगली बार आयेगी।

धारा २५ (२) (xi) तथा ४९ (ख)

५.०३ शिक्षा क्षेत्र में प्रतिष्ठित पाँच व्यक्ति, जो धारा २५ (२) के खण्ड (xi) के अधीन विद्या-परिषद् के सदस्य होंगे, उनका

Scanned by CamScanner

सहयोजन उक्त धारा के खण्ड (i) से (x) में उल्लिखित सदस्यों द्वारा, जिनका अधिवेशन कुलसचिव बुलायेगा, उन व्यक्तियों में से किया जायगा, जो विश्वविद्यालय, संस्थान, सम्बद्ध महाविद्यालय या छात्रावास के कर्मचारी न हों।

५.०४ धारा २५ (२) के खण्ड (vi), (viii) और (xi) के अधीन सदस्य तीन वर्ष के लिए पद धारण करेंगे। धारा २५ (३) तथा ४९ (ख)

५.०५ अधिनियम, इस परिनियमावली तथा अध्यादेशों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए विद्या-परिषद् की निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी, अर्थात्— धारा २५ (१) (ग)

(i) अध्ययन बोर्ड के द्वारा संकायों के माध्यम से प्रेषित पाठ्यक्रम विषयक प्रस्तावों की संवीक्षा करना और उन पर अपनी सिफारिश करना तथा कार्य-परिषद् के विचारार्थ उन सिद्धान्तों और मापदण्डों की सिफारिश करना, जिनके आधार पर परीक्षकों और निरीक्षकों को नियुक्त किया जाय;

(ii) सभा अथवा कार्य-परिषद् द्वारा उसे निर्दिष्ट किये गये या सौंपे गये किसी भी विषय पर रिपोर्ट देना;

(iii) विश्वविद्यालय के किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश के प्रयोजनार्थ अन्य विश्वविद्यालयों और संस्थाओं के डिप्लोमा, उपाधियों या प्रमाण-पत्रों को मान्यता देने के विषय में कार्य-परिषद् को सलाह देना;

(iv) विश्वविद्यालय की विभिन्न उपाधियों तथा डिप्लोमाओं के लिये विषय विशेष में शिक्षण देने वाले व्यक्तियों की अपेक्षित अर्हताओं के सम्बन्ध में कार्य-परिषद् को सलाह देना, और

(v) शिक्षा सम्बन्धी विषयों के सम्बन्ध में ऐसे सभी कर्तव्यों का पालन करना और ऐसे सभी कृत्यों को करना, जो अधिनियम, परिनियमों तथा अध्यादेशों के उपबन्धों को उचित रूप से कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक हों।

५.०६ विद्या-परिषद् का अधिवेशन कुलपति के निर्देश से बुलाया जायगा। धारा २५ तथा ४९ (ख)

Scanned by CamScanner

अध्याय-६

वित्त-समिति

धारा ४९ (ख)

६.०१ धारा २६ (१) के खण्ड (ध) में निर्दिष्ट व्यक्ति की सदस्यता की अवधि एक वर्ष होगी, परन्तु वह अपने उत्तराधिकारी के निर्वाचन तक पद पर बना रहेगा। कोई भी ऐसा सदस्य लगातार तीन बार से अधिक पद धारण नहीं करेगा।

धारा २६ (३) तथा ४९ (क)

६.०२ व्यय की ऐसी नई मदें, जो पहिले से ही वित्तीय अनुमान में सम्मिलित न हों, निम्नलिखित दशाओं में वित्त-समिति को निर्दिष्ट की जायेंगी :—

(i) अनावर्ती व्यय, यदि उसमें दस हजार रूपये या इससे अधिक का व्यय अन्तर्ग्रस्त हो; और

(ii) आवर्ती व्यय, यदि उसमें तीन हजार रूपये या उससे अधिक का व्यय अन्तर्ग्रस्त हो;

परन्तु यह कि विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी को यह अनुमति न होगी कि वह किसी ऐसे मद को, जो एक बजट शीर्षक के अन्तर्गत आने वाली अनेक भागों में विभाजित की गयी हों, छोटी-छोटी धनराशियों को बहुत-सी मदें मानकर कार्य करे और वित्त-समिति के समक्ष प्रस्तुत न करे।

धारा २६ (३) तथा ४९ (क)

६.०३ वित्त-समिति ऐसे दिनाङ्क को या उसके पूर्व, जिसको अध्यादेशों द्वारा इस निमित्त व्यवस्था की जाय, परिनियम ६.०२ अथवा परिनियम ६.०४ के अधीन उसको निर्दिष्ट की गयी व्यय की समस्त मदो पर विचार करेगी और उन पर अपनी सिफारिशें यथाशीघ्र देगी और कार्य-परिषद् को संसूचित करेगी।

धारा २६ (३) तथा ४९ (क)

६.०४ यदि कार्य-परिषद् वार्षिक वित्तीय अनुमान (अर्थात् बजट) पर विचार करने के पश्चात् किसी समय उसमें किसी ऐसे पुनरीक्षण का प्रस्ताव करे, जिसमें परिनियम ६.०२ में निर्दिष्ट आवर्ती

Scanned by CamScanner

या अनावर्ती धनराशि का व्यय अन्तर्ग्रस्त हो, तो कार्य-परिषद् वित्त-समिति को प्रस्ताव निर्दिष्ट करेगी।

६.०५ वित्त अधिकारी द्वारा तैयार किया गया विश्वविद्यालय का वार्षिक लेखा तथा वित्तीय अनुमान वित्त-समिति के समक्ष विचार के लिये रखा जायगा और तत्पश्चात् कार्य-परिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जायगा। धारा २६ (३) तथा ४९ (क)

६.०६ वित्त-समिति के किसी सदस्य को असहमति अभिलिखित करने का अधिकार होगा, यदि वह वित्त-समिति के किसी विनिश्चय से सहमत न हो। धारा २६ (३) तथा ४९ (क)

६.०७ लेखा की परीक्षा करने तथा व्यय के प्रस्तावों की संवीक्षा करने के लिए वित्त-समिति का प्रतिवर्ष कम-से-कम दो बार अधिवेशन होगा। धारा २६ (३) तथा ४९ (क)

६.०८ वित्त-समिति के अधिवेशन कुलपति के निर्देश से बुलाये जायेंगे और वित्त अधिकारी द्वारा ऐसे अधिवेशनों को बुलाने के लिए भी नोटिसें जारी की जायेंगी और सभी अधिवेशनों का कार्यवृत्त रखा जायगा। धारा १५ (७) तथा ४९ (ग)

Scanned by CamScanner